

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0092 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 20/05/2024 15:51 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 01/05/2006 Date To (दिनांक तक): 06/03/2021
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 20/05/2024 Time (समय): 12:15 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 20/05/2024 15:51:30 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 15 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): 10, BHARAT PATH, JANAKPURI, HEERA PURA POWER HOUSE, JAIPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAJENDRA SINGH NAIN

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 15/07/1964 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	135, SIRSI ROAD, KHIRNI FATAK, KHATIPURA JAIPUR, VAISHALI NAGAR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	135, SIRSI ROAD, KHIRNI FATAK, KHATIPURA JAIPUR, VAISHALI NAGAR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9414073666

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VIRENDRA KUMAR VERMA		पिता: BANSHI DHAR VERMA	1. 10, AJMER ROAD, JANAKPURI, JAIPUR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		58,38,578.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 58,38,578.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 06.03.2021 को श्री बजरंग सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपीगण श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा,ओ.एस.डी.जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जयपुर, श्री नरेश सिंघल संवेदक व श्री महेश कुमार गोयल सहायक लेखाधिकारी प्रथम के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही की जाने के पश्चात श्री अभिषेक पारीक ,उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय जयपुर द्वारा आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा के निवास स्थान मकान नम्बर 10 भरत पथ, जनकपुरी, हीरापुरा पॉवर हाउस के सामने अजमेर रोड जयपुर की खाना तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री महावीर सिंह भाटी व रामप्रकाश मीना व आरोपी विरेन्द्र कुमार वर्मा की पत्नि सुनीता वर्मा की उपस्थिति में ली जाने पर घरेलु सामान,सोने चांदी के आभूषण, दस्तावेज व 7,00,000/-रूपये नगद मिलना पाये गये। खाना तलाशी के दौरान उक्त मकान वीरेन्द्र कुमार वर्मा के नाम होना, उक्त मकान में बेसमेंट, भूतमल, प्रथम तल व द्वितीय तल का बना हुआ पाया गया। भूतल पर किरायेदार श्री महेश कुमार परिवार सहित रहना पाये गये। बेसमेंट, प्रथम व द्वितीय तल का उपयोग स्वयं द्वारा किया जाना बताया गया। श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा के दो पुत्रियाँ व एक पुत्र भी तलाशी के दौरान पाये गये थे। आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा व अन्य के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही पर दर्ज प्रकरण संख्या 70/2021 में बाद अनुसंधान श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा व अन्य के विरुद्ध अपराध धारा 7,7ए,8,9,10,13(1)ए सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 बी भा.द.स. के तहत दण्डनीय अपराध प्रमाणित पाया जाने से चार्जशीट संख्या 104/2021 दिनांक 29.04.2021 से माननीय एसीबी न्यायालय क्रम संख्या- 01 जयपुर में दिनांक 03.05.2021 को प्रस्तुत की गयी। एसओ श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा आर.ए.एस की प्रथम नियुक्ति शासन उप सचिव के पत्रांक प.1(2)/कार्मिक/क-4/2006 जयपुर दिनांक 21.04.2006 से हुयी थी। संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क-4)विभाग जयपुर के पत्रांक प.4(3)कार्मिक/क-4/2016 जयपुर दिनांक 15.06.2016 से वीरेन्द्र कुमार वर्मा की पदोन्नति वरिष्ठता सह योग्यता (एडीएम) के पद पर हुयी थी। संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क-4)विभाग के पत्रांक प.1(1)कार्मिक/क-4/2019 जयपुर दिनांक 25.02.2019 से श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा का स्थानान्तरण अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर से विशेषाधिकारी जयपुर शहर परिवहन सेवा लिमिटेड में किया गया तब से श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा उक्त पद पर कार्यरत थे। अतिरिक्त निदेशक स्वायत्त शासन विभाग के पत्रांक एफ.15(टी) पीडी/डीएलबी /जेसिटीएसएल/2020/11403 जयपुर दिनांक 10.11.2020 से वीरेन्द्र कुमार वर्मा को विशेषाधिकारी के साथ-साथ प्रबन्ध निदेशक जेसिटीएसएल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था तब से उक्त दोनों पदों पर वीरेन्द्र कुमार वर्मा पदस्थापित थे। श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा के मकान की खाना तलाशी मे मकान नम्बर 10 क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज जनकपुरी कोलानी के मूल दस्तावेज पाये गये जिनके अनुसार दी कृष्णा को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड ने श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री बन्शीधर वर्मा निवासी विराटनगर के नाम भूखण्ड संख्या 10 क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज का आवंटन पत्र दिनांक 21.11.2002 को रसीद संख्या 17600 दिनांक 21.11.2002 से 16721/- रूपये में जारी किया गया। उक्त आवंटन पत्र जारी होने के समय श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा राजकीय सेवा में नही थे। खाना तलाशी के दौरान ग्राम विराटनगर पटवार हल्का में स्थित भूमि खसरा नम्बर 3548 में 0.75 भूमि श्रीमती प्रभाती देवी पत्नि श्री बंशीधर नैनावत जाति बलाई निवासी विराटनगर जयपुर द्वारा श्री सुगना पत्नि श्री गोपाल बलाई निवासी विराटनगर से दिनांक 24.12.2008 को 200000/- रूपये में क्रय की गयी जिसकी रजिस्ट्री उप पंजीयक विराटनगर के कार्यालय में निष्पादित हुयी। जिस पर पंजीयन एवं स्टाम्प पर 57600/-रूपये का व्यय हुआ। श्रीमती प्रभाती देवी ने दिनांक 07.06.2019 को दिनांक 24.12.2008 को क्रय अपनी उक्त जमीन उप पंजीयक विराटनगर जयपुर में अपने बेटे देवेन्द्र कुमार व वीरेन्द्र कुमार के नाम पर उपहार पत्र निष्पादित करवाया गया। उक्त उपहार पत्र में 75900/- रूपये का व्यय हुआ। श्रीमती सुनीता रोहलन द्वारा दिनांक 13.10.2010 को श्रीमती शीला देवी लालवानी पत्नि श्री जसवन्त कुमार लालवानी निवासी प्लाट नम्बर 3/60 जवाहर नगर जयपुर से भूखण्ड संख्या 264 कनक वृन्दावन ग्राम कनकपुरा सिरसी रोड जयपुर क्षेत्रफल 261.28 वर्ग गज 475000/- रूपये में जरिये रजिस्ट्री उप पंजीयक जयपुर सप्तम के कार्यालय के पंजीकृत करवाकर क्रय किया गया। उक्त रजिस्ट्री के पंजीयन पर 23050/- रूपये का व्यय हुआ। खाना तलाशी की जाँच में बैंको से बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड, जीए-55 की प्रमाणित प्रतियाँ, अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत शहर जयपुर के कार्यालय पत्रांक 2124 दिनांक 15.12.2022 से एसओ के निवास स्थान की मूल्यांकन रिपोर्ट एवं एसओ का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर जाँच की गयी। एसओ श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा की प्रथम नियुक्ति

दिनांक 27.12.1999 को राजस्थान वाणिज्य कर सेवा में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद कार्यरत दिनांक 01.05.2006 को राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ। एसओ श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा की प्रथम नियुक्ति दिनांक 27.12.1999 को राजस्थान वाणिज्य कर सेवा में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद होने एवं दिनांक 01.05.2006 को राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर.ए.एस) में चयन होने से वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर प्राप्त की गयी आय/व्यय को बैंक पिरियड में शामिल नहीं किया गया है। श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा के बैंक पिरियड दिनांक 01.05.2006 से दिनांक 06.03.2021 तक शुद्ध आय का विवरण:- क्रसं आय का शीर्षक व विवरण आय प्राप्त होने की दिनांक वर्ष व अवधि। शुद्ध आय की राशि। 1. आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.05.2006 से दिनांक 06.03.2021 तक जीए-55 के अनुसार एसओ. की शुद्ध आय 62,85,182/- रुपये होना पायी गयी। 01.05.2006 से दिनांक 06.03.2021 तक 62,85,182/- 2. एसबीआई बैंक कलेक्ट्रेट श्रीगंगानगर में स्थित खाता संख्या 61009797320 श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा के नाम से दिनांक 24.08.2006 से दिनांक 06.03.2021 तक 1,20,055/- रुपये ब्याज में प्राप्त होने से आय हुयी। दिनांक 24.08.2006 से दिनांक 06.03.2021 तक 1,20,055/- 3. एसबीआई बैंक कलेक्ट्रेट श्रीगंगानगर में स्थित खाता संख्या 33542079344 श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा के नाम से दिनांक 27.12.2013 से दिनांक 06.03.2021 तक 1,77,732/-रुपये ब्याज में प्राप्त होने से आय हुयी। दिनांक 27.12.2013 से दिनांक 06.03.2021 तक 1,77,732/- 4. पंजाब नेशनल बैंक प्रतापगढ़ में स्थित खाता संख्या 3904000400224615 श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा के नाम से दिनांक 04.03.2008 से दिनांक 06.03.2021 तक 5,757/-रुपये ब्याज में प्राप्त होने से आय हुयी है। दिनांक 04.03.2008 से दिनांक 06.03.2021 तक 5,757/- 5. पंजाब नेशनल बैंक प्रतापगढ़ में स्थित खाता संख्या 3904000400224606 श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा के नाम से दिनांक 04.03.2008 से दिनांक 06.03.2021 तक 24,800/-रुपये ब्याज में प्राप्त होने से आय हुयी है। दिनांक 04.03.2008 से दिनांक 06.03.2021 तक 24,800/- 6. खाना तलाशी के क्रम संख्या 36 पर अंकित भारतीय जीवन बीमा निगम की पोलिसी संख्या 192584871 श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा के नाम से होकर उक्त पोलिसी में दिनांक 06.03.2021 तक 56,850/-रुपये जमा कराये जाने से उक्त पोलिसी मनी बैंक होने से 37,500/-रुपये का भुगतान पोलिसी धारक को प्राप्त होने से आय हुयी है। दिनांक 06.03.2021 तक 37,500/- 7. खाना तलाशी के दौरान भूतल पर श्री महेश कुमार का परिवार 10,000/-रुपये प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर रहने से 7 माह में 70,000/-रुपये की आय किराये से हुयी। दिनांक 06.03.2021 तक 70,000/- कुल योग 67,21,026/- श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा के बैंक पिरियड दिनांक 01.05.2006 से दिनांक 06.03.2021 तक अर्जित सम्पत्तियों का विवरण:- क्रसं परिसम्पत्तियों का विवरण खरीदने/ निवेश करने की दिनांक व वर्ष सम्पत्ति खरीद का कुल मूल्य 1. एसबीआई बैंक कलेक्ट्रेट श्रीगंगानगर में स्थित खाता संख्या 61009797320 श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा के नाम से दिनांक 24.08.2006 को खोला गया था उक्त खाता में दिनांक 06.03.2021 को अन्तिम बैलेंस 1,19,992 रुपये था। 24.08.2006 से दिनांक 06.03.2021 तक 1,19,992/- 2. एसबीआई बैंक कलेक्ट्रेट श्रीगंगानगर में स्थित खाता संख्या 33542079344 श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा के नाम से दिनांक 27.12.2013 को खोला गया था उक्त खाता में दिनांक 06.03.2021 को अन्तिम बैलेंस 17,66,695/- रुपये होने से एसओ की परिसम्पत्ति है। 27.12.2013 से दिनांक 06.03.2021 तक 17,66,695/ 3. पंजाब नेशनल बैंक प्रतापगढ़ में स्थित खाता संख्या 3904000400224615 श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा के नाम से दिनांक 04.03.2008 को खोला गया था उक्त खाता में दिनांक 06.03.2021 को अन्तिम बैलेंस 180.44/- रुपये था। दिनांक 04.03.2008 से दिनांक 06.03.2021 तक 180/- 4. पंजाब नेशनल बैंक प्रतापगढ़ में स्थित खाता संख्या 3904000400224606 श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा के नाम से दिनांक 04.03.2008 को खोला गया था उक्त खाता में दिनांक 06.03.2021 को अन्तिम बैलेंस 8,108/- रुपये था। दिनांक 04.03.2008 से दिनांक 06.03.2021 तक 8,108/- 5. खाना तलाशी में मिले दस्तावेज के क्रम संख्या 17 से लेकर 20 तक श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा व सुनीता के बैंक व पूर्णतया बन्द डेबिट कार्ड है जिनका उपयोग नहीं किया गया है। - 0/- 6. खाना तलाशी में मिले दस्तावेज के क्रम संख्या 10 पर अंकित मारुती 800रजि.नम्बर आरजे 14 6सी 9318 श्रीमती सुनीता रोहलान के नाम से है जो दिनांक 15.11.2002 को 1,93,732/-रुपये का व्यय हुआ लेकिन बैंक पिरियड दिनांक 01.05.2006 से होने से व्यय में शामिल नहीं की गयी। बैंक पिरियड पूर्व की 0/- 7. खाना तलाशी के क्रम संख्या 8 व 9 में मिली आर सी के अनुसार उक्त क्रमांक में अंकित वाहन होण्डा एक्टिवा स्कूटर रजि.न.आरजे 02 यूएस 6566 श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा 09/2016 को 47,707/-रुपये में क्रय की गयी थी। दिनांक 09.09.2016 को 47,707/- 8. खाना तलाशी के क्रम संख्या 28 व 29 में एसबीआई पोलिसी संख्या 33003288605 श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा दिनांक 31.03.2009 को करवाई गयी थी जिसमें दिनांक 06.03.2021 तक 150000/-रुपये जमा करवाये गये है। इसी प्रकार पोलिसी संख्या 35009457006 श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा दिनांक 30.03.2011 को करवाई गयी थी जिसमें दिनांक 06.03.2021 तक 3,33,537/-रुपये जमा करवाये गये है। दिनांक 31.03.2009 से दिनांक 06.03.2021 तक 3,33,537/- 9. खाना तलाशी के क्रम संख्या 25 पर अंकित एवीवा लाईफ एंशोरेंस बीएलए0042727 श्री विरेन्द्र वर्मा द्वारा दिनांक 31.03.2012 को करवायी गयी थी। जिसमें 1,63,751/-रुपये जमा करवाये गये है। दिनांक 31.03.2012 तक 1,63,751/- 10. खाना तलाशी के क्रम संख्या 30 पर अंकित मैक्स लाईफ इंश्योरेंस पोलिसी नम्बर 724340443 श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा दिनांक 11.02.2009 को करवायी गयी थी जिसमें

12.07.2021 तक 2,60,000/-रूपये जमा हुये है दिनांक 11.02.2009 से 12.07.2021 2,60,000/- 11. खाना तलाशी के क्रम संख्या 36 पर अंकित भारतीय जीवन बीमा निगम की पोलिसी संख्या 192584871 श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा के नाम से होकर उक्त पोलिसी में दिनांक 06.03.2021 तक 56,850/-रूपये जमा कराये जाने से उक्त पोलिसी हुये है। दिनांक 06.03.2021 56,850/- 12. श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा के मकान की खाना तलाशी मे मकान नम्बर 10 क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज जनकपुरी कोलानी के मूल दस्तावेज पाये गये जिनके अनुसार दी कृष्णा को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड ने श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री बन्शीधर वर्मा निवासी विराटनगर के नाम भूखण्ड संख्या 10 क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज का आवंटन पत्र दिनांक 21.11.2002 को रसीद संख्या 17,600 दिनांक 21.11.2002 से 16721/-रूपये में जारी किया जाने से व्यय हुआ लेकिन चैक पैरियड दिनांक 01.05.2006 से होने से व्यय में शामिल नहीं की गयी। दिनांक 21.11.2002 0/- 13. खाना तलाशी के दौरान ग्राम विराटनगर पटवार हल्का में स्थित भूमि खसरा नम्बर 3548 में 0.75 भूमि श्रीमती प्रभाती देवी पत्नि श्री बंशीधर नैनावत जाति बलाई निवासी विराटनगर जयपुर द्वारा श्री सुगना पत्नि श्री गोपाल बलाई निवासी विराटनगर से दिनांक 24.12.2008 को 2,00,000/-रूपये में क्रय की गयी जिसकी रजिस्ट्री उप पंजीयक विराटनगर के कार्यालय में निष्पादित हुयी। जिस पर पंजीयन एवं स्टाम्प पर 57,600/-रूपये का व्यय हुआ। लेकिन उक्त रजिस्ट्री एसओ की मां की होने से एसओ का व्यय नहीं हुआ है। दिनांक 24.12.2008 0/- 14. श्रीमती प्रभाती देवी ने दिनांक 07.06.2019 को दिनांक 24.12.2008 को क्रय अपनी उक्त जमीन उप पंजीयक विराटनगर जयपुर में अपने बेटे देवेन्द्र कुमार व वीरेन्द्र कुमार के नाम पर उपहार पत्र निष्पादित करवाया गया। उक्त उपहार पत्र में 75900/-रूपये का व्यय हुआ। जिसमें एसओ को आधा हिस्सा होने से 37,950/-रूपये का व्यय हुआ। दिनांक 07.06.2019 37,950/- 15. एसओ के निवास स्थान पर पायी गयी सियाज कार क्रय पर अनुमानित 7,50,000 का व्यय 7,50,000/- 16. खाना तलाशी के दौरान एसओ के निवास स्थान पर मिली नगद राशि 7,00,000/-रूपये। दिनांक 06.03.2021 7,00,000/- 17. अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि.वृत्त शहर जयपुर के पत्रांक 2124 दिनांक 15.12.2022 से श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा के मकान नम्बर 10 जनकपुरी गजसिंहपुरा अजमेर रोड जयपुर की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार व्यय राशि 21,39,084/-रूपये 2004-2005,2006-2007 21,39,084/- 18. खाना तलाशी के क्रम संख्या 4 व 5 पर मिले ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के खाता संख्या 04182010062860 व क्रम संख्या 5 पर मिले ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के खाता संख्या 04182010062860 एक ही है। उक्त खाता में दिनांक 06.03.2021 को अन्तिम बैलेंस राशि 2,49,233/-रूपये होने से एसओ की परिसम्पति है। दिनांक 03.06.2020 2,49,233/- 19. खाना तलाशी के क्रम संख्या 27 पर भारतीय जीवन बीमा की पॉलिसी संख्या 105110503 शाखा प्रबन्धक प्रतापगढ के पत्र दिनांक 25.06.2021 से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त पॉलिसी संख्या श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बंशीलाल के नाम होकर दिनांक 29.03.2008 को करवायी गयी थी तथा उक्त पॉलिसी पर दिनांक 06.03.2021 तक 15,000/-रूपये जमा होने से 15,000/-रूपये का व्यय हुआ है। दिनांक 29.03.2008 से दिनांक 06.03.2021 15,000/- 20. खाना तलाशी के क्रम संख्या 29 पर एसबीआई लाईफ इंश्योरेश की पोलिसी संख्या 33003288605 पॉलिसी सर्विसिंग हेड एसबीआई लाईफ इंश्योरेंश के पत्र दिनांक 009 दिनांक 15.04.2021 से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त पॉलिसी संख्या श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बंशीलाल के नाम होकर प्रीमियम 50,000/-रूपये प्रतिवर्ष से दिनांक 31.03.2009 को करवायी गयी थी तथा उक्त पॉलिसी पर दिनांक 31.03.2009 से दिनांक 09.03.2011 तक 1,50,000/-रूपये जमा होने से 1,50,000/-रूपये का व्यय हुआ है। दिनांक 31.03.2009 से दिनांक 09.03.2011 1,50,000/- 21. खाना तलाशी के दौरान क्रम संख्या 34 के दस्तावेजों में श्रीमती सुनीता रोहलन पुत्र श्री श्योजीराम पत्नि श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा निवासी मकान नम्बर 10 जनकपुरी अजमेर रोड जयपुर द्वारा श्रीमती शीला देवी लालवानी पत्नि श्री जसवन्त कुमार लालवानी निवासी प्लाट नम्बर 3/60 जवाहर नगर जयपुर से दिनांक 13.10.2010 को जरिये रजिस्ट्री प्लाट नम्बर 264, क्षेत्रफल 261.28 वर्गगज, कनक वृन्दावन ग्राम कनकपुरा सिरसी रोड जयपुर विकास प्राधिकरण से जारी पट्टे सहित उप पंजीयक जयपुर सप्तम में रजिस्ट्री करवाकर 4,75,000/-रूपये में क्रय किया गया। उक्त प्लाट को क्रय करने में पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क पर 23,050/-रूपये का व्यय होने से कुल व्यय 4,98,050 /-रूपये का व्यय हुआ है। दिनांक 13.10.2010 4,98,050/- 22. खाना तलाशी के दौरान एसओ के घर पर एक सादा कागज पर दिनांक 11.11.2020 को श्री आशीष केवलानी पुत्र श्री आरसी केवलानी निवासी अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर द्वारा रॉयल ग्रीन सिटी प्रथम में स्थित प्लाट नम्बर 147 क्षेत्रफल 203.54 वर्गगज को श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र बंशीधर वर्मा द्वारा 25,16,020/-रूपये में क्रय किये जाना व 10,16,000/-रूपये नगद प्राप्त किये जाने का उल्लेख है। उक्त व्यक्ति एसओ का भाई है जिसके सम्बन्ध में अनुसंधान के दौरान साक्ष्य एकत्रित कर अनुसंधान किया जावेगा। दिनांक 11.11.2020 0/- 23. एसओ विरेन्द्र कुमार वर्मा के नाम यस बैंक 0-19ए ग्राउण्ड फ्लोर, अशोक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर के शाखा प्रबन्धक से दिनांक 23.11.2023 को प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त खाता में दिनांक 06.03.2021 को 1,00,000/-रूपये अन्तिम बैलेंस होने से एसओ की परिसम्पति है। दिनांक 06.03.2021 1,00,000/- कुल योग 73,96,137/- श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा के चैक पिरीयड दिनांक 01.05.2006 से दिनांक 06.03.2021 में किये गये खर्च का विवरण:- क्रसं. खर्च का शीर्षक खर्च करने की दिनांक वर्ष व अवधि। खर्च की राशि। 1. एस.ओ. के वेतन भत्तों (दिनांक 01.05.2006 से

दिनांक 06.03.2021) की ग्रेस सकल अनुमानित आय 86,51,974/- रूपये में से इन्कम टैक्स के 6,63,070/- रूपये कम करने पर 79,88,904 रूपये का 1/3 रसोई खर्च पर व्यय पर 26,62,968/- रूपये का व्यय होना पाया गया। दिनांक 01.05.2006 से दिनांक 06.03.2021 26,62,968/- 2. एसओ श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा की खाना तलाशी में मिले सामान का कुल मूल्य 18,14,999/-रूपये होना पाया जाता है। उक्त राशि में से 1,00,000/-मोडल्यूर किचन व 2,14,500/-रूपये कपडे काँपी व किताबो के कम किये जाने पर 3,14,500/-रूपये घटाने पर 15,00,499/-रूपये होना पाये गये। एसओ 15,00,499/- 3. एसओ द्वारा अपने अभ्यावेदन में अपने दो पुत्रियाँ होना तथा ट्रेप तक एक पुत्री कक्षा 11 व दुसरी पुत्री कक्षा 09 में अध्यनरत होने व 4 वर्ष से जयपुर में अध्यनरत होने व अन्य वर्षों में चुरु,बीकानेर व भीलवाडा में अध्यनरत होना बताया। जयपुर में अध्यनरत की 4 वर्ष म प्रत्येक की फीस 60,000/-रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रत्येक की 240000-240000/-रूपये व बडी पुत्री की 7 वर्ष की अनुमानित फीस 35,000/-रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से 2,45,000/-रूपये व छोटी पुत्री की 5 वर्ष की पढाई की अनुमानित फीस 35,000/-रूपये के हिसाब से 1,75,000/- रूपये इस प्रकार अनुमानित कुल 9,00,000/-रूपये का व्यय शिक्षा पर किया गया। वर्ष 2010 से 2021 9,00,000/- 4. एसओ द्वारा सियाज कार क्रय के मेटेनेंस,इंयोरेंश व डीजल पर किया गया अनुमानित व्यय 1,00,000/- कुल योग 51,63,467/- इस प्रकार बैंक पिरियड अवधि में एस.ओ. की वैध आय 67,21,026/- रूपये होना पाया गया एवं बैंक पिरियड अवधि में एस.ओ की परिसम्पत्तियों का कुल योग 73,96,137/-रूपये तथा व्यय की गई राशि 51,63,467/-रूपये होना पायी गई। इस प्रकार अर्जित परिसम्पत्तियाँ व व्यय की गई राशि का कुल योग 1,25,59,604/-रूपये होना पायी गयी। इस प्रकार एस.ओ. की बैंक पिरियड में वैध आय में से व्यय होने के पश्चात 58,38,578/-रूपये अधिक होना पाई गई। इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों से एसओ श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा, पुत्र श्री बंशीधर वर्मा, जाति बलाई, उम्र 44 साल, निवासी पापडी रोड विराट नगर, जयपुर निवासी 10-जनकपुरी अजमेर रोड जयपुर तत्कालीन विशेषाधिकारी जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जयपुर, अतिरिक्त चार्ज प्रबन्ध निदेशक जेसीटीएसएल जयपुर द्वारा अपने सेवाकाल में अपने पद एवं अधिकारो का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्ट आचरण अपना कर बैंक पिरियड दिनांक 01.05.2006 से दिनांक 06.03.2021 तक अपने वैध आय के अनुपातिक स्रोतो से अधिक अवैध रूप से 58,38,578/-रूपये वैध आय से 86.87/-प्रतिशत अधिक राशि भ्रष्टाचार कर अकूत परिसम्पत्तियाँ अर्जित की जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। आरोपी के पास अन्य परिसम्पत्तियाँ/भूखण्ड/बेनामी परिसम्पत्तियाँ होने व अन्य व्यय की स्थिति विस्तृत अनुसंधान से रोशन होगी। अतः आरोपी श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए. एस., तत्कालीन विशेषाधिकारी जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जयपुर, अतिरिक्त चार्ज प्रबन्ध निदेशक जेसीटीएसएल जयपुर का कृत्य अपराध धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में उपरोक्त के विरुद्ध विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है। (राजेन्द्र सिंह) अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस. यू. प्रथम जयपुर कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-प्रथम जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री बंशीधर वर्मा निवासी पापडी रोड विराट नगर जयपुर हाल -10 जनकपुरी अजमेर रोड जयपुर हाल ओ0एस0डी जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जयपुर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी सुरेन्द्र पंचोली पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, विशेष अनुसंधान ईकाई जयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 310 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 461-64 दिनांक 20.05.2024 प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1 जयपुर। 2 शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट -प्रथम जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद्र सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): SURENDRA Rank उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): PANCHOLI (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/09/1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)